न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर जोधपुर ग्रामीण राज०

पीठासीन अधिकारी :- श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 54/2024

जीसीएमएसनं. :- 2024/83

प्रार्थीगण :-

1. पूनाराम पुत्र कालूराम
2. गोपाराम पुत्र कालूराम
3. केसाराम पुत्र कालूराम
4. कोजाराम पुत्र कालूराम
5. राजूराम पुत्र आसुराम
6. हीरालाल पुत्र आसुराम
7. प्रदीप पुत्र रामदीन
8. सुखी पत्नि रामदीन

जातियान जाट निवासीयान घाणामगरा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. निरमा पुत्री मांगीदेवी
2. रेखा पुत्री मांगीदेवी
3. ममता पुत्री जयकिशन
4. महावीर पुत्र जयकिशन
5. सुरेश पुत्र जयकिशन
6. सायरी पत्नि जयकिशन
7. जेतीदेवी पत्नि काशीराम
8. पूजा पुत्री काशीराम
9. प्रियंका पुत्री काशीराम
10. राजीव खोखर पुत्र काशीराम
11. लीला पुत्री काशीराम
    जातियान विश्नोई सभी निवासीयान तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
12. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू.राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित :

दर्ज तारीख :- 05.03.2024

श्री बक्तावर सिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 15/8/25

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :-ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है कि खाता सं. 51 खसरा नम्बर 561 रकबा 1.2620 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आयी हुई हैं। उक्त वर्णित आराजी को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी ग्राम सिलारी की राजस्व सीमा में स्थित हैं प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के चिपते उत्तर-पूरब सीमा तिलवासनी सरहद में अप्रार्थी सं. एक से ग्यारह की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। दोनो के मध्य काकड़ माठ सीमा आयी हुई है लेकिन अप्रार्थीगण हर समय प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी की उत्तर पूरब सीमा माठ को खुर्द बुर्द करते आ रहे हैं तथा मध्य माठ को अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन से मिला लिया जिसको लेकर दोनो पक्षो के मध्य आपस में कहासुनी होने लग गयी तथा प्रार्थीगण द्वारा नाप चौक कर सीमाकंन करवाने हेतु कई बार कहा लेकिन अप्रार्थीगण सीमांकन नही करवा रहें

हैं प्रार्थीगण ने अपनी वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी सं. 12 के आदेशानुसार नापचौक कर सीमाकंन भी करवाया लेकिन अप्रार्थीगण मान नही रहे है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा के लिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक कर सीमांकन करवाकर उत्तर–पूरब सीमा में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन की सुरक्षा कर सके। प्रार्थीगण पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है तथा उत्तरपूरब सीमा तिलवासनी काकड़ माठ सीमा के पश्चात् चिपते अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 92 आयी हुई है लेकिन अप्रार्थीगण के बीच की माठ को खुर्दबुर्द कर अपनी जमीन में मिला लिया तथा प्रार्थीगण के उत्तर–पूरब सीमा में दखलन्दाजी पैदा करने लग गये इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का नापचौक कर सीमांकन भी करवाया लेकिन दिनांक 01.02.2024 को अप्रार्थीगण ने मानने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान न्यायालय हाजा से वादग्रस्त आराजी का नापचौक करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है इसलिए श्रीमान न्यायालय हाजा मे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम सिलारी राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 1.2620 हैक्टयर का नापचौक करवाया जाकर सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 6 व 8 से 11 के सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 7 फौत जिनके वारिसान पत्रावली में पूर्व मे मौजुद हैं। अप्रार्थी सं. 12 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का नापचौप कर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम सिलारी पटवारी क्षैत्र सिलारी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 561 रकबा 1.2620 हैक्टयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिलारी के खसरा नम्बर 561 का टीम गठित कर नापचौक कर पत्थरगढ़ी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेनभू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 14/8/25 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेनभू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर